MUNICIPAL BOUNDARY

SH061

SHANTI NIKETAN SCHOOL

RAJASTHAN JUDICIAL ACADEMY

NAGAR NIGAM SOUTH ZONE

ZONE E-2

TO JHALAMAND CIRCLE

C=TO BE DESIGNED AS PER IRC

ZONE S-1

ZONE E-2

TO SARDAR SAMAND

TO PALI

JODHPUR

ZONAL DEVELOPMENT PLAN - MP 2031

LOCATION MAP

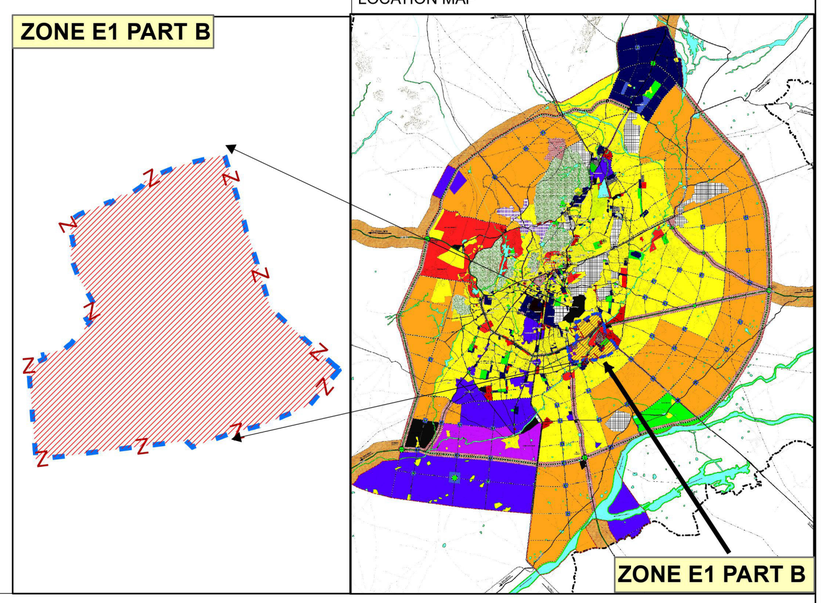

LEGEND

RESIDENTIAL

	RESIDENTIAL (U1)	आवासीय
SA-16	SPECIAL AREA	आवासीय

COMMERCIAL

	RETAIL BUSINESS & GENERAL COMMERCIAL	व्यावसायिक फुटकर व्यापार एवं सामान्य वाणिज्यिक
H	HOTEL	होटल
	MIXED LANDUSE	

INDUSTRIAL

	LARGE AND EXTENSIVE	औद्योगिक वृहद् उद्योग
	SMALL AND MEDIUM	लघु एवं मध्यम उद्योग

RECREATIONAL

P	PARKS, OPEN SPACES AND PLAY GROUNDS.PLANTATION BELT	मनोरंजन उद्यान, खुला स्थान और खेल का मैदान
	TOURIST FACILITIES	पर्यटक सुविधाएँ

GOVERNMENTAL

	GOVERNMENT AND SEMI-GOVERNMENT OFFICES	सरकारी राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय
	GOVERNMENT RESERVED AREAS	सरकारी आरक्षित क्षेत्र

PUBLIC AND SEMI PUBLIC

S/C	EDUCATIONAL	सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक शैक्षणिक
	PROFESSIONAL COLLEGE/ COLLEGE/ SCHOOL	व्यवसायिक महाविद्यालय / महाविद्यालय / स्कूल
H+	HOSPITAL	चिकित्सालय
R	RELIGIOUS	धार्मिक
	CREMATION	श्मशान घाट
	KABRISTAN/CEMETARY	कब्रिस्तान

TRANSPORT NETWORK/ CIRCULATION यातायात नेटवर्क / परिसंचरण

NH	NATIONAL HIGHWAY/ BYPASS	राष्ट्रीय राजमार्ग / बाईपास
SH	STATE HIGHWAY	राज्य राजमार्ग
	MAJOR ROAD	मुख्य सड़क
	UNMETALLED ROAD	कच्चा रास्ता

WATER BODIES

	RIVER, STREAM	जल निकाय नदी, नाले
	LAKE/ POND	झील / तालाब

BOUNDARIES

Z	ZONE BOUNDARY	सीमा क्षेत्र सीमा
	MUNICIPAL BOUNDARY	
	HIGH TENSION ELECTRIC LINE	उच्च क्षमता विद्युत लाईन

MASTER PLAN ROAD NETWORK

	EXISTING	PROPOSED			
①			60M	NATIONAL HIGHWAY/ STATE HIGHWAY/ BYPASS	राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / बाईपास
②			48M-60M	ARTERIAL ROAD	प्रमुख सड़क
③			36M-48M	SUB ARTERIAL ROAD	उप–प्रमुख सड़क

PROPOSED SECTOR/ZONAL ROAD

	18 M ROAD	30 M ROAD	CIRCLE
	12 M ROAD	24 M ROAD	

AREA 6 HECTARE

N

Map No: 8	Date:	SCALE : 1:12000@A1

0 120 240 480 720 960 1,200 Meters

नोट–

1. कार्यालय में उपलब्ध कमिटमेंट्स को जोनल विकास योजना में अंकित कर दिया गया है यदि कोई कमिटमेंट्स त्रुटिवश अंकित होने से रह गए हैं तो उसको समायोजित मानते हुए अपेक्षित कार्यवाही की जाए।
2. तालाब, नदी, नाले आदि का सीमांकन सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग के अनुसार ही मान्य होगा।
3. जोनल विकास योजना के क्षेत्र में आ रही एच.टी. लाईन से नियमानुसार सुरक्षा दूरी छोड़ी जावेगी।
4. यह जोनल विकास योजना मानचित्र पूर्व में जारी मास्टर विकास योजना 2031 का भाग माना जावेगा।
5. डी.बी. सिविल रिट 1554/2004, में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को भी भविष्य में समायोजित करते हुए ही कार्यवाही की जानी अपेक्षित होगी।
6. जोनल विकास योजना में आवश्यकता अनुरूप मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित सड़कों के अतिरिक्त नवीन रूप से सड़कों के प्रस्ताव रखे गये हैं।
7. जोनल विकास योजना में प्रस्तावित 24 मीटर व अधिक सड़कों के सहारे सड़क की चौड़ाई की 1.5 गुणा या एकल भूखण्ड की गहराई तक (जो भी कम हो) मिश्रित उपयोग (आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थानिक व राजकीय) अनुज्ञेय होंगे।
8. जोजरी नदी के सहारे दोनो ओर राजस्व सीमा के पश्चात 30 मीटर की वृक्षारोपण पट्टी एवं उसके बाद 18 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान रखा गया है।
9. राजस्व नालो, तालाब, नाड़ी आदि के सहारे राजस्व सीमा के पश्चात 9 मीटर की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान रखा गया है।
10. रक्षा एवं सैन्य प्रतिष्ठानों से सुरक्षा दूरी, रक्षा मंत्रालय, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों व दिशा निर्देशों के अनुरूप ही रखी जानी होगी।

TITLE-MAP SHOWING DRAFT ZONAL DEVELOPMENT PLAN

ZDP ZONE E1 B

ASSISTANT TOWN PLANNER	DEPUTY TOWN PLANNER	EXECUTIVE ENGINEER	DEPUTY COMMISSIONER
DIRECTOR PLANNING	SECRETARY	COMMISSIONER	CHAIRMAN